बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 241

शुरू हो सामान्य कामकाज

कई दिन चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बनने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी (शामिल) नहीं होगी। हालांकि जो कुछ घटा वह किसी भी लोकतंत्र के लिए गर्व का विषय तो नहीं हो सकता। यदि तीन अलग विचारधारा वाले दलों का साथ आना जनादेश का अपमान था तो भाजपा और अजित पवार ने रात के अंधेरे में जो कुछ किया वह लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपरा का मखौल उड़ाना था। अब जबकि इसका अंत होता दिख रहा है, बड़ा सवाल यह है कि क्या नई सरकार चलेगी? या वह अपने ही विरोधाभासों और छोटी आंतरिक लड़ाइयों की शिकार हो जाएगी?

अतीत में शिवसेना ने कभी यह नहीं छिपाया कि वह स्वयं को विपक्षी दल मानती है, चाहे सत्ता में रहे या न रहे। वह प्रदेश का इकलौता दल है जिसने कोंकण तट पर जैतापुर परमाणु रिएक्टर के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था क्योंकि इससे मत्स्यपालन को खतरा था। यह ऐसी परियोजना थी जिसे कांग्रेस ने 2008 में भारी राजनीतिक कीमत चुकाकर हासिल किया था। भाजपा सरकार भी निरंतर अपने साझेदार दल के विरोध के साये में काम करती रही।

फ्रांस ने इस परियोजना में काफी निवेश किया है और अब वह इसके लिए सॉवरिन गारंटी चाहता है। अब तो आशंका यह है कि वह यहां और पैसा फंसाने के बजाय वापस भी जा सकता है। कांग्रेस ने परियोजना की शुरुआत के भी पहले घोषणा की थी कि वह अहमदाबाद और मुंबई के बीच उच्चगति वाली रेल सेवा के खिलाफ है क्योंकि यह रेल मार्ग आदिवासी वन क्षेत्र से गुजरता है और स्थानीय लोगों को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस रेल मार्ग का विकास करने वाला जापान सांसे थामे प्रतीक्षा कर रहा है कि आखिर क्या होगा क्योंकि कांग्रेस सरकार का हिस्सा होने जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) दोनों ध्रुवों के बीच फंसी है। उसके पास शिवसेना से केवल दो विधायक कम हैं लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा।

देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की नई सरकार गठन के बाद क्या वैसा ही कुछ करेगी जैसा कि अन्य दल विपक्ष से सत्ता में आने के बाद करते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने शुरुआती छह महीनों में हर उस चीज को नष्ट करने का काम किया जो उनके पूर्ववर्ती द्वारा बनाई गई थी।

यही बात राजस्थान पर लागू होती है जहां कांग्रेस की सरकार ने पिछली सरकार के कई निर्णय बदल दिए। इनमें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात भी शामिल थी। नई सरकार को तमिलनाडु से सबक लेना चाहिए जो देश के सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यों में शामिल रहा? कारण नीतियों में निरंतरता। एम करुणानिधि और जे जयललिता राजनीतिक रूप से धुर विरोधी थे लेकिन यदि उन्हें लगता कि कोई नीति सही है तो वे उसे जारी रखते और प्राय: कमी होने में उसमें सुधार करते। मध्याह्न भोजन योजना इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र के मतदाता, जो पिछले कुछ दिनों से सबसे अधिक परेशान थे, उनकी अपेक्षा है कि सरकार काम पर लग जाए।

सन 2015 में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर तलेगांव के निकट आने वाला फॉक्सकॉन का 500 करोड़ डॉलर का निवेश, पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा करने वाले मूल्यवर्धित कर में कटौती और लेनदेन की लागत में उल्लेखनीय कमी आदि जरूरी कदम हैं। नई सरकार को यह भी ध्यान में रखना होगा कि भाजपा को भले ही राज्य में अच्छी खासी क्षति पहुंची हो लेकिन वह अपनी ओर से कामकाज प्रभावित करने में कोई कसर उठा नहीं रखेगी।

अजय मोहंती

फसल अवशेष जलाने की समस्या का निदान

फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने तथा पंजाब और हरियाणा के किसानों को धान की खेती के प्रति हतोत्साहित करना होगा। बता रहे हैं **रमेश चंद**

कई वर्षों से दिल्ली तथा पश्चिमोत्तर भारत के अनेक हिस्सों में अक्टूबर और नवंबर में भारी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कई कारक हैं लेकिन प्रदूषण के इतने खतरनाक स्तर पर पहुंचने के लिए पड़ोसी राज्यों में धान की फसल के अवशेष जलाए जाने को वजह बताया जाता है। इस समस्या का स्थायी हल तलाशने के लिए हमें ऐसे विकल्प तलाशने होंगे जो किसानों को ऐसा करने से रोक सकें।

पारंपरिक तौर पर फसल अवशेष का इस्तेमाल पालतू पशुओं के चारे या घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता था। इसके एक हिस्से से कंपोस्ट खाद बनाई जाती थी। समय के साथ फसल अवशेष की आपूर्ति बढ़ती गई और ईंधन तथा चारे के नए विकल्प आने से इसकी मांग कम होती गई। सूखे चारे की जगह हरे चारे ने ले ली और ईंधन में एलपीजी तथा अन्य स्रोत आ गए। इस क्षेत्र में एक दिक्कत यह भी है कि गैर बासमती धान के सूखे डंठल, गेहूं के डंठल की तुलना में बेहद खराब चारा माने जाते हैं। किसानों के पास इस अवशेष को जलाने या धरती में निपटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही कारण है कि देश भर में यह समस्या आम हो चली है। दिल्ली और उसके आसपास यह ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहां हवा की गुणवत्ता पहले से खराब है।

पंजाब और हरियाणा के किसानों का गेहूं के फसल अवशेष जलाना आम है। लेकिन उसका नुकसान इतना अधिक महसूस नहीं होता है क्योंकि गर्मियों के दिन में तेज हवाएं धुएं को जल्दी ही फैला देती हैं। परंतु एक एकड़ भूभाग की गेहूं उपज के अवशेष जलाने का भी पर्यावरण को उतना ही नुकसान होता है जितना कि एक एकड़ धान से। दुख की बात है कि इस तरफ बढ़ते रुझान को गंभीरता से नहीं लिया गया। यदि प्रभावी उपाय नहीं अपनाए गए तो आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम होंगे।

धान की खेती की बात करें तो अभी कुछ वर्ष पहले तक इसमें हार्वेस्टर का प्रयोग कम होता था और अधिकांश खेती हाथ से होती थी। हाथ से की जाने वाली खेती में धान की कटाई सतह से 6 से 10 सेमी ऊपर से होती थी। इससे अवशेष बहुत कम बचता और जुताई के बाद आसानी से निकल जाता। इसे एक कोने में इकट्ठा कर दिया जाता जहां यह समय के साथ अपघटित हो जाता।

अब पंजाब में 94 फीसदी इलाके में हार्वेस्टर से खेती होती है। मशीन केवल ऊपर से 20 सेमी फसल काटती है और बाकी पौधा जस का तस छोड़ देती है। बचा हुआ अवशेष अगली फसल की तैयारी में मुश्किल पैदा करता है। धान कटाई के चार से छह सप्ताह बाद गेहूं की बुआई होती है। ऐसे में खेत को जल्दी साफ करना एक समस्या होती है। अधिकांश किसान आग लगाने का विकल्प चुनते हैं जो जल्दी भी होता है और इसकी लागत भी कुछ नहीं होती। परंतु यह पर्यावरण के लिए घातक है। पंजाब में जहां 75 फीसदी खरीफ रकबा धान है और इसका भी 78 फीसदी हिस्सा जलाया जाता है, वहां यह समस्या ज्यादा गंभीर है।

कुछ किसानों को इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा है और वे इस अवशेष को मिट्टी में दबाते हैं। इसके लिए इस अवशेष को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना होता है ताकि उनको जुताई के दौरान मिट्टी में मिलाया जा सके। इससे उर्वरता बढ़ती है और अवशेष का अपघटन हो जाता है। यह अपघटन बहुत धीमी गति से ही सही लेकिन वातावरण में मीथेन उत्सर्जित करता है। इसमें किसान को पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। इसमें कई मशीन प्रयोग की जाती हैं और इसकी लागत करीब 3,000 रुपये प्रति एकड़ आती है। इसका बड़ा हिस्सा अगली फसल की लागत में जुड़ जाता है।

केंद्र सरकार ने संबंधित मशीनरी की खरीद पर भारी सब्सिडी की व्यवस्था की है ताकि फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाया जा सके। बहरहाल, लागत के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा। इसके अलावा सब्सिडी भी चुनिंदा कंपनियों के उपकरणों पर है।

आवश्यकता इस बात की है कि देश के इस हिस्से में फसल अवशेष जलाने का दीर्घकालिक हल निकाला जाए। इससे निपटने के लिए तीन तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, फसल अवशेष से बायो-सीएनजी का उत्पादन। इस प्रक्रिया में उत्सर्जन भी न के बराबर होगा। बायोगैस निकालने के बार शेष बचा अवशेष खाद के काम आएगा। विशेषज्ञों से बातचीत से पता चलता है कि धान के डंठलों का सीएनजी के लिए इस्तेमाल किफायती है। इसकी प्रक्रिया भी पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं होता। ऐसे निवेश के लिए रियायती दर पर ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पंजाब सरकार ने बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी लेकिन इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। पंजाब के संगरूर जिले में जर्मनी के निवेश से एक संयंत्र लगा है जबकि दूसरा हरियाणा के करनाल जिले में लग रहा है। केंद्र और राज्यों को बायो-सीएनजी संयंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए और संयंत्र लगाने के इच्छुक पक्षकारों को जल्द और रियायती ऋण देना चाहिए।

दूसरा विकल्प है बायोमास के परिवर्तित स्वरूप को ताप बिजली घरों में कोयले के स्थान पर प्रयोग करना या औद्योगिक संयंत्रों में ईंधन के रूप में आजमाना। धान के प्रचुर उत्पादन वाले इलाकों में यह तरीका भी कारगर हो सकता है।

तीसरा विकल्प है बायोमास का शीघ्र अपघटन कर उसे जमीन में मिला देना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोबायल फॉर्मूला बनाया है जो धान के बायोमास को 20-25 दिन में अपघटित कर देता है। अब वे इस तकनीक को खेतों में प्रयोग करने लायक बना रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह तकनीक जल्दी ही खेतों में प्रयोग के लिए तैयार होगी।

इन विकल्पों के सहारे कचरे को संपत्ति में बदला जा सकता है और इसके साथ ही यह धान के अवशेष जलाने से भी देश भर में छुटकारा दिला सकते हैं। बीते तीन दशक के दौरान हमारी खेती के तरीके में भी बदलाव आया है। इसके लिए कच्चे माल पर सब्सिडी और उत्पादन मूल्य नीति जिम्मेदार है। आज हम मांग से 10 फीसदी अधिक चावल उगा रहे हैं। जाहिर है ऐसा नीतियों के चावल उत्पादन के पक्ष में झुके होने से हो रहा है। इसका असर भूजल पर पड़ रहा है। इससे पर्यावरण खराब हो रहा है और राजकोषीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। हमें अपनी नीतियों में संशोधन कर पंजाब और हरियाणा को धान की खेती से विमुख करना होगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देना बंद करने और उस सब्सिडी को भिन्न स्वरूप में किसानों को देने से भी फर्क पड़ेगा।

(लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं। लेख में उनके निजी विचार हैं)

कर राजस्व में आनुपातिक बढ़त का कर बंटवारे पर असर

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

पिछले 28 वर्षों में 2002-2003 में देश में टैक्स बॉयंसी (सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मुकाबले कर राजस्व में आनुपातिक इजाफा) सर्वाधिक रही थी। उस वर्ष टैक्स बॉयंसी 2 दर्ज की गई थी। यानी केंद्र का सकल कर राजस्व महंगाई समायोजित किए बिना देश की आर्थिक वृद्धि दर या नॉमिनल जीडीपी के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ा था। उस समय वित्त मंत्रालय की कमान यशवंत सिन्हा के पास थी।

टैक्स बॉयंसी देश की कर प्रणाली की कार्य क्षमता मापने का एक प्रमुख संकेतक है। इससे जीडीपी में आई तेजी की प्रतिक्रिया में कर संग्रह के स्तर का पता चलता है। टैक्स बॉयंसी मोटे तौर पर कर करदाताओं की संख्या, कर प्रशासन की कार्य कुशलता एवं उनके दोस्ताना रवैये और कर दरों की सरलता पर निर्भर करती है। हालांकि केवल एक वर्ष के टैक्स बॉयंसी के आधार पर कर प्रणाली की कार्य कुशलता एवं सक्षमता या आर्थिक वृद्धि के मुकाबले कर संग्रह के आंकड़े को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जा सकता है। कई ऐसे कारक हैं, जो टैक्स बॉयंसी को उछाल देते हैं या इसमें कमी लाते हैं। कराधान से जुड़ी नीतियां भी टैक्स बॉयंसी रेट को प्रभावित करती हैं और इनका आकलन एक लंबी अवधि के आंकड़ों एवं रुझान को देखकर ही किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए केवल एक वर्ष ही टैक्स बॉयंसी 2 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था और 2001-02 में इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। उस वर्ष देश की नॉमिनल जीडीपी दर 8 प्रतिशत से कुछ अधिक रही थी। लिहाजा, कर बॉयंसी ऋणात्मक रही और देश में आर्थिक सुधारों की कसरत के बाद केवल एक बार यह इतने निचले स्तर पर रही थी। एक रुचिकर बात यह है कि सिन्हा के कार्यकाल में ही देश में सर्वाधिक और सबसे कम टैक्स बॉयंसी दर्ज हुई थी। वित्त मंत्री के तौर पर अपने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्हें दो वर्षों में कमतर टैक्स बॉयंसी से जूझना पड़ा, हालांकि शेष तीन वर्षों के दौरान टैक्स बॉयंसी सराहनीय रही।

इस मापदंड के आधार पर सिन्हा का प्रदर्शन एक और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के मुकाबले थोड़ा ही कमतर माना जा सकता है। मनमोहन सरकार में चिदंबरम 2004-05 से 2008-09 तक देश के वित्त मंत्री थे। इस दौरान बतौर वित्त मंत्री उनके पहले चार वर्षों के दौरान टैक्स बॉयंसी 1.3 से 1.7 के बीच रही। यह एक अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है। पांचवें वर्ष यानी 2008-09 में (हालांकि मुंबई में आतंकवादी हमले के बाद चिदंबरम ने दिसंबर 2008 में वित्त मंत्रालय छोड़ दिया था) टैक्स बॉयंसी में खासी कमी आई और यह कम होकर करीब 0.2 रह गई। टैक्स बॉयंसी में इतनी अधिक गिरावट के लिए वैश्विक वित्तीय संकट और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किए गए आर्थिक प्रोत्साहन जिम्मेदार थे।

वैसे किसी वर्ष में टैक्स बॉयंसी पर उस दौरान घटित प्रतिकूल बातों का प्रभाव दिख सकता है, लेकिन अमूमन करीब पांच वर्षों की अवधि में दीर्घ अवधि के टैक्स बॉयंसी के रुझान कुछ वर्ष पूर्व नीतियों में हुए बदलाव के नतीजे होते हैं। नीतियों में बदलाव के परिणामस्वरूप टैक्स बॉयंसी पर कुछ समय बाद होने वाले असर की अनदेखी शायद ही की सकती है। लिहाजा वर्ष 1991-92 और 1997-98 के दौरान सात वर्षों में चार में टैक्स बॉयंसी औसतन 1.0 से 1.3 के बीच रही थी और शेष तीन वर्षों में यह कमजोर थी। हालांकि इन वर्षों के दौरान टैक्स बॉयंसी में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों का असर बाद के दशक में स्पष्ट तौर पर दिखा। इस दौरान भी कुछ साल ऐसे रहे जब टैक्स बॉयंसी पर आर्थिक घटनाक्रम के कारण असर देखा गया।

सिन्हा ने कर सुधार, खासकर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में, के जो उपाय किए थे उनसे चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान टैक्स बॉयंसी में मजबूती लाने में मदद मिली। सिन्हा के बाद चिदंबरम ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। 2009-10 और 2011-12 की चार वर्षों की अवधि में जब प्रणव मुखर्जी दोबारा वित्त मंत्रालय लौटे तो टैक्स बॉयंसी कमजोर रही और दो वर्षों में यह 1 से कम रही और शेष दो अवधि में 1 से अधिक दर्ज की गई।

जब अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री बने तो उनके पांच वर्षों के कार्यकाल में भी टैक्स बॉयंसी मजबूत रही। उनके कार्यकाल के पहले वर्ष टैक्स बॉयंसी 1 से नीचे जरूर रही, लेकिन तीन लगातार वर्षों में इसमें खासा सुधार हुआ और यह 1.0 से 1.6 के बीच रही। हालांकि अंतिम वर्ष यानी 2018-19 में यह कम होकर 0.7 रह गई। 2019-20 की पहली छमाही में जब केंद्र का सकल कर राजस्व 2018-19 की समान अवधि के मुकाबले महज 1.5 प्रतिशत दर से बढ़ा तो टैक्स बॉयंसी कम होकर करीब 0.15 रह गई। यह इस धारणा पर आधारित था कि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर पहली छमाही में 10 प्रतिशत थी।

टैक्स बॉयंसी में आने वाली यह गिरावट केंद्र सरकार के खजाने के लिए चिंता का विषय है। इससे राजकोषीय मजबूती लाने की सरकार की योजना खटाई में पड़ सकती है और केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व साझा करने की 15वें वित्त आयोग की गणना का आधार कमजोर हो सकता है। अगर मौजूदा टैक्स बॉयंसी का इस्तेमाल अगले 15 वर्षों के दौरान राजस्व वृद्धि के आंकड़े दर्शाने के लिए होता है तो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए राजस्व संबंधी चुनौतियां अधिक विकट हो सकती हैं। 15वें वित्त आयोग के लिए एक यक्ष प्रश्न यह है कि वह आने वाले वर्षों में टैक्स बॉयंसी की गणना के लिए अधिक विश्वसनीय आधार पर कैसे पहुंचेगा। अगर यह त्रुटिपूर्ण आकलन करता है तो कर संग्रह की बुनियाद बेजा साबित हो सकती है, जिससे कर बंटवारे की नई विधि पर प्रतिकूल असर होगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच कर साझा करने के लिए आवश्यक सिफारिश करने से पहले 15वें वित्त आयोग को टैक्स बॉयंसी के विश्वसनीय रुझान का आकलन करना होगा।

कानाफूसी

मान-सम्मान और अपमान

लोकसभा चुनाव में भारी पराजय के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में पार्टी के पुराने और बुजुर्ग नेता खुद को हाशिये पर महसूस कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के प्रदेश कांग्रेस पर प्रभावी होने के बाद से उनका असंतोष कम होने के बजाय बढ़ा ही है। पार्टी के नए ढांचे को लेकर उन नेताओं के निरंतर टीका-टिप्पणी करते रहने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य संतोष सिंह और पूर्व विधायक सिराज मेहदी समेत प्रदेश के 10 बड़े नेताओं को नोटिस जारी किया गया और बाद में उन्हें छह वर्ष के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। इन नेताओं का कहना है कि कुछ नेता पार्टी को निजी कंपनी की तरह चला रहे हैं और उनके मन में पुराने नेताओं के योगदान को लेकर रत्ती भर भी सम्मान का भाव नहीं है।

आप का दावा

आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई की अंदरूनी खींचतान के चलते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं चुना है। पुरी ने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा यह चुनाव पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में लड़ेगी। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री पुरी ने कहा कि उनका अर्थ यह था कि पार्टी तिवारी के नेतृत्व में जीत हासिल करेगी। भाजपा ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। आप का दावा है कि पार्टी नेता विजेंद्र गुप्ता और विजय गोयल भी तिवारी के साथ इस पद के दावेदार हैं।

हरदीप सिंह पुरी

आपका पक्ष

संविधान दिवस और भारतीय नागरिक

संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश ने संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार कर संवैधानिक दायरे में रहकर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का संकल्प लिया था। दुनिया के कई देशों को यह संदेह था कि क्या भारत में मौजूद अनेक धर्म, जाति, पंथ के चलते वह अपने संवैधानिक मूल्यों को टिका पाएगा। लेकिन आज देश अपना 70वां संविधान दिवस सफलता से मना रहा है जो इस संदेह को मिटा देता है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पूरी तरह प्रस्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। देश में विविध सरकारी संस्थाओं, संगठन, स्कूल-कॉलेज द्वारा संविधान दिवस आयोजित कर उसमें मौजूद प्रमुख मूल्यों की बात भाषणों द्वारा रखी जाती है। लेकिन देश में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो संविधान में मौजूद बुनियादी

संविधान दिवस के अवसर पर संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष

तथ्यों से अपरिचित है, जबकि यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह कम से कम संविधान की प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य जैसे तत्त्वों से अच्छी तरह परिचित हो। यह बुनियादी बात व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था एवं मूल्य, सरकार की जिम्मेदारियां, नागरिक के अधिकार, देश के प्रति नागरिक के कर्तव्य आदि का बोध कराता है। अधिकतर स्कूलों में विज्ञान एवं गणित पढ़ाने में गंभीरता दिखाई जाती है लेकिन अक्सर सामाजिक विज्ञान विषयों के प्रति उदासीन रवैया होता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान को भी उतना ही महत्त्व देना जरूरी है क्योंकि यह विषय देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने में काफी मदद करता है।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली

पिछले कुछ वर्षों में गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने वाले ग्रामीणों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे कई प्रकार के असंतुलन भी उत्पन्न हो रहे हैं। शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है। वहीं गांवों में कामगारों की कमी आने लगी है। इसमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिन्हें अस्थायी या मौसमी पलायन करने वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है और इसका 62 प्रतिशत हिस्सा 59 वर्ष से कम आयु का है। देश की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग की है। इस तरह भारत विश्व का सबसे युवा देश है। अगर पलायन जीविका के परंपरागत स्रोत पर संकट आने के कारण हो रहा है तो इससे असंगठित क्षेत्र में उद्योगों के पनपने को बढ़ावा मिलता है और शहरों में झुग्गी-बस्तियों का विस्तार होता है। ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सामाजिक समानता एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना अति आवश्यक है। इसलिए सभी विकास योजनाओं में उपेक्षित वर्गों को विशेष रियायत दी जाए। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के जरिये विभिन्न व्यवसाय चलाने, स्वरोजगार प्रशिक्षण, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना) जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनसे गरीब तथा उपेक्षित वर्गों के लोग अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं।

नृपेंद्र अभिषेक, छपरा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।